नए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संबंधी नियम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

हाल ही में, **भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने** [दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार (संशोधन) नियम, 2024] को अधिसूचित किया।

- **प्रमाणन प्रक्रिया में परिवर्तन:**
  - **प्राधिकारी की आवश्यकता**: केवल **ज़िला स्तर** पर **नामित चिकित्सा प्राधिकारी** ही **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** जारी कर सकता है।
  - **कलर-कोडित UDID कार्ड**: दिव्यांगजन के स्तर को दर्शाने के लिये **कलर-कोडित विशिष्ट सफेद, पीले और नीले दिव्यांगता पहचान कार्ड (UDID) पेश किये गए। नीला रंग 80% या उससे अधिक दिव्यांगता** स्तर को दर्शाता है।
  - **केवल ऑनलाइन आवेदन**: नए नियमों के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिये **ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य** कर दिया गया है।
  - **एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग टाइम**: दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि **एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने** कर दी गई है।
  - **पुनः आवेदन की आवश्यकता**: यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवेदन पर **दो वर्ष के भीतर कोई कार्रवाई** नहीं की जाती है, तो आवेदक को **पुनः आवेदन करना होगा।**

और पढ़ें: [दिव्यांगजन व्यक्तियों को सशक्त बनाना]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-disability-certificate-rules